महाविद्यालय का नाम — राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर
दिनांक — 06-05-2020
कक्षा — स्नातक द्वितीय खंड
विषय — इतिहास (Subsidiary)
पाठ — लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों का मूल्यांकन
यूनिट — 3
लेखक का नाम — मुकेश कुमार राकेश
व्याख्यान क्रमांक — 35

शीर्षक विषय	शिक्षण - अध्यापन प्रक्रिया	श्यामपट्ट
1. भूमिका	वारेन हेस्टिंग्स के पश्चात 1786 ई. में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। उसे भारत में कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भेजा गया था। कॉर्नवालिस के समक्ष दो प्रधान उद्देश्य थे — (क) भारत में एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापना करना, शांति एवं न्याय की व्यवस्था करना, कंपनी (ख) आर्थिक स्थिति को सुधारना, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को दूर करना तथा (ग) देशी राज्यों के मामले में यथासंभव हस्तक्षेप नहीं करना। अपने 7 वर्षीय (1786 से 1793) शासनकाल के दौरान कॉर्नवालिस ने अपने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक की (घ) तथा कंपनी-शासन को स्थायित्व प्रदान किया।	
2. कॉर्नवालिस की विदेश नीति :—	पिट्स इंडिया ऐक्ट (1784) में यह कहा गया था कि "भारत में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि "भारत में विजय और साम्राज्य-विस्तार की योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करना ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा, सम्मान और नीति के विरुद्ध है।" अतः कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल	

Scanned with CamScanner

जब वह भारत आया, तब उसने कठोरता से व्यापार के
अनुरूप ही कार्य किया तथा यथासंभव देशी राज्यों
के साथ शांतिपूर्ण तटस्थता की नीति का पालन किया।
आरंभ में कॉर्नवालिस उस नीति का ईमानदारी से
पालन किया परंतु कालांतर में परिस्थितियों से विवश
होकर उसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी किया
तथा ब्रिटिश हितों की रक्षा की।
आरंभ में अहस्तक्षेप की नीति के अनुसार कॉर्नवालिस
ने देशी राज्यों ज़मींदार, हैदराबाद के निजाम,
मराठों के संबंध में तटस्थता की नीति का अनुसरण
किया परंतु बाध्य होकर कॉर्नवालिस को मैसूर
के साथ युद्ध करना पड़ा।

मैसूर का शासक टीपू सुल्तान
अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। निजाम
और मराठे पहले ही टीपू के दुश्मन थे क्योंकि वह
उनके राज्यों पर आक्रमण कर रहा था। ऐसी स्थिति
में कॉर्नवालिस ने 1790 ई० में निजाम और
मराठों से संधि कर टीपू सुल्तान को अलग-
थलग कर दिया और दिसंबर 1790 में
कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना को लेकर बढ़ा और
1791 में बंगलौर पर अधिकार कर टीपू की
राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया।
फरवरी 1792 में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम को
घेर लिया फलतः मार्च 1792 में टीपू को

अंग्रेजों के साथ मिलीभगत करके व्यापार कर लेते थे। ये लोग किसानों से भी अत्यधिक कर वसूल कर लेते थे। इनके अत्याचार से किसान बहुत परेशान थे। व्यापारियों और किसानों के शोषण से भी कंपनी के व्यापार को हानि होती थी।

कॉर्नवालिस के भारत आगमन के समय कंपनी के कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी थी। कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की तथा उनकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया किन्तु कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका।
कंपनी की राजस्व की व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक प्रयास किए गए। उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कॉर्नवालिस ने 1786 ई. में कलेक्टर के साथ राजस्व बोर्ड की स्थापना की। कलेक्टर को राजस्व की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1790 ई. में कंपनी के हाथ में ले लिया गया।
इस प्रकार कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया और कंपनी को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

3. कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार :- कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजने का मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधारना था। अतः कॉर्नवालिस ने प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने के लिए निम्न कार्य किए:-
1) न्यायिक सुधार :- सबसे पहले कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में सुधार किए। उसने

अधिक मुआवजीकरण में ... की अध्यक्षता
जजों रजिस्ट्रार और कलक्टरों के रूप में न्याय
के सभी अधिकार वापस ले लिये गये। इनके
स्थान पर जज केवल लगान वसूली और इससे संबंधित
मामले ही रहे।

दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए

दीवानी अदालतों की क्रमबद्ध श्रृंखला स्थापित की गई।
दीवानी मामलों की उत्तरोत्तर श्रेणी कलकत्ता की
सदर दीवानी अदालत थी। यह अदालत 1000 रुपए
से अधिक मूल्य के मुकदमे की अपील सुनती थी। इसके
सदर दीवानी अदालत के नीचे प्रांतीय न्यायालय थे
जिनकी संख्या 4 थी और जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद,
ढाका और पटना में स्थापित थी। प्रांतीय न्यायालयों
को 1000 रुपये तक के मुकदमे की सुनवाई होती थी।
प्रांतीय न्यायालयों के नीचे जिला अदालतें थीं।
इसके नीचे रजिस्ट्रार की अदालत और इसके नीचे
मुंसिफ की अदालत थी जिन्हें क्रमशः 200 और
50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था।
मुंसिफ की अदालतें गाँवों में स्थापित कर लोगों
के न्याय की व्यवस्था तक पहुँचाने का काम किया।
इसी प्रकार फौजदारी न्याय व्यवस्था में सुधार करते हुए
कलकत्ता स्थित सदर निज़ामत अदालत को फौजदारी
मुकदमों का अंतिम कोर्ट बना दिया गया। प्रांतीय अदालतों

के पदों को [illegible] बनाया गया तथा भारतीय अधिकारियों के अधीन काम करनेवाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। 1790 ई० में एक फौजदारी कानून बनाया गया जिसके अनुसार हत्या के मामलों में हत्यारे की भावना पर अधिक बल ~~दिया~~ देने को कहा गया — न कि हत्या के अस्त्र अथवा ढंग पर। मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा कर देने अथवा रक्त का मूल्य निर्धारित करके छोड़ देने की प्रथा बंद कर दी गई और अंग भंग की सजा को समाप्त कर उसके स्थान पर कठोर सजाएँ देने की व्यवस्था की गई।

कॉर्नवालिस ने न्याय-व्यवस्था में सुधार की जितनी भी योजनाएँ बनाई उन्हें 1793 ई० में एकत्र कर 'कॉर्नवालिस संहिता' (Cornwallis Code) का नाम दिया गया। इन सुधारों द्वारा न्याय को जनसाधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।

न्याय व्यवस्था को ठीक से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन में भी सुधार आवश्यक थे। पुलिस अधिकारियों के भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के कारण असामाजिक तत्व जनता को परेशान करते थे। फलतः पुलिस का वेतन बढ़ा दिया गया, अपराधियों को पकड़ने ~~पर~~ पर पुरस्कार की व्यवस्था की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों से पुलिस अधिकार ले लिया गया और अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को जिला की पुलिस व्यवस्था का भार सौंपा गया।

दिनांक

नाम - मुकेश कुमार

कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्याप्त भ्रष्टाचार / रिश्वतखोरी की समस्या को रोकने के लिए कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के वेतन, भत्ता और सुविधाओं में सुधार किया तथा व्यक्तिगत व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ उसने कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी ताकि वे ईमानदारीपूर्वक अपना कार्य कर सकें।

कॉर्नवालिस ने कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण करने के उद्देश्य से कंपनी के उच्च पद यूरोपियों के लिए ही सुरक्षित किए। भारतीयों को 500 पौंड वार्षिक वेतन से कम वाले पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान बनाया।

कॉर्नवालिस के समय की सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में एक - राजस्व व्यवस्था में सुधार एवं स्थायी बन्दोबस्ती था। राजस्व वसूलने के अधिकार पूर्ण रूप से कलक्टरों पर छोड़ दिया गया। प्रांतों को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में एक कलक्टर को नियुक्त किया गया। 1793 ई० में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में भू-राजस्व की स्थायी बन्दोबस्ती को लागू किया गया।

वहीं व्यापारिक सुधार के तहत 1774 में एक व्यापार बोर्ड की स्थापना की गई और माल खरीदने और बेचने के लिए ठेकेदारों के स्थान पर कमीशन एजेंटों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने कंपनी में विभिन्न सुधार करके कंपनी का प्रशासन सुदृढ़ रूप से चलाने की शक्ति में वृद्धि की।

मुकेश कुमार
6475 [redacted]
C.O. ...

Scanned with CamScanner